गन्ना उद्योग विभाग				
क्र०सं०	योजना/कार्यक्रम एवं सेवाएँ	योजना/कार्यक्रम सेवाएँ के तहत दी जाने वाली लाभ	व्यक्ति जिसे लाभ दिया जाता हो।	स्वीकृत देने वाले पदाधिकारी का नाम
01	मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम	1. इस योजना का मुख्य उद्देश्य गन्ना के उत्पादन, उत्पादकता एवं चीनी रिकवरी प्रतिशत में वृद्धि करना। 2. इस योजनांतर्गत कार्यान्वित योजनायें यथा–प्रजनक एवं आधार बीज उत्पादन हेतु प्रोत्साहन, प्रमाणित बीज उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम, गन्ना के चयनित प्रभेदों के प्रमाणित बीज पर क्रय अनुदान, गन्ना के साथ मसूर/गर्मा मूंग फसल की अंतरवर्ती खेती हेतु अनुदान, कीटनाशक/फफूंदनाशक रसायन के प्रयोग पर अनुदान, कार्बनिक उर्वरक (बॉयो कम्पोस्ट) के क्रय पर अनुदान, एक दिवसीय राज्यस्तरीय सेमिनार/कार्यशाला, विभागीय पदाधिकारियों/चीनी मिल के प्रतिनिधियों का राज्य के बाहर के गन्ना अनुसंधान संस्थान में भ्रमण एवं प्रशिक्षण, प्रगतिशील गन्ना कृषकों का (20 किसानों का दल) राज्य के बाहर के गन्ना अनुसंधान संस्थान में अंतर्राज्यीय एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण, 40 कृषकों के लिए एकदिवसीय कृषक प्रशिक्षण आदि।	1. राज्य के संबंधित जिले के सभी गन्ना कृषक। 2. इस योजनांतर्गत छोटे/सीमान्त एवं लधु कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी। एक गन्ना कृषक को अधिकतम 2.50 एकड़ में लगाये गये गन्ने पर ही अनुदान राशि देय होगी। श्री पद्धति, ट्रेंचर एवं रिंग पिट विधि से बुआई करने वाले किसानों को अनुदान में प्राथमिकता दी जाएगी। 3. इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु ईच्छुक गन्ना किसान अपना आवेदन संबंधित चीनी मिल/ सहायक निदेशक, ईख विकास कार्यालय में समर्पित करेंगे।	संबंधित जिलों के सहायक निदेशक, ईख विकास

02	गन्ना उद्योग विभाग के अधीन बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम–1981 की धारा–7 के अधीन चीनी मिल क्षेत्र में गठित क्षेत्रीय विकास परिषद से संबंधित परिवाद	ईख अधिनियम ।ब्ज.1981	गन्ना किसानों को।	ईखायुक्त
03	किसानों के गन्ना के तौल में चीनी मिल द्वारा घटतौली (under Weighment) से संबंधित परिवाद	ईख अधिनियम ।ब्ज.1981	गन्ना किसानों को।	ईखायुक्त
04	ईख मूल्य भुगतान से संबंधित किसानों से प्राप्त परिवाद	ईख अधिनियम ।ब्ज.1981	गन्ना किसानों को।	ईखायुक्त